

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 563]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 21, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2011 (अग्रहायण 21, 1933)

क्र. 26275-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (5) के अनुसरण में सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन, जो दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 को पत्रक भाग-दो में प्रख्यापित होने पर प्रभावशील हुए, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 223-क के अधीन तृतीय अनुसूची के भाग-3 में सरल क्रमांक 34 तथा उसके सम्मुख अंकित शब्दावली के पश्चात् नवीन सरल क्रमांक 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 तथा 44 एवं उनके समक्ष निम्नानुसार शब्दावली जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

35. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन)
36. सतपुड़ा ताप विद्युत् कंपनी लिमिटेड
37. उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड
38. मध्यप्रदेश मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड
39. मध्यप्रदेश जे. पी. कोल लिमिटेड
40. मध्यप्रदेश ए. एम. आर. एल. (सिमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड
41. मध्यप्रदेश ए. एम. आर. एल. (विचारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड
42. मध्यप्रदेश ए. एम. आर. एल. (मर्कीबकरा) कोल कंपनी लिमिटेड
43. मध्यप्रदेश ए. एम. आर. एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड
44. मध्यप्रदेश कटनी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड.”

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.